

- 1 -
दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा

- : ऋण आवेदन पत्र (व्यापार) : -

श्रीमान् शाखा प्रबन्धक,
दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
शाखा
महोदय,

मैं/हम अपने व्यवसायिक संबंधी, निम्न लिखित सूचनाएँ प्रेषित कर निवेदन करता/करते
हैं कि मुझे/हमें आवेदन पत्र में वर्णित वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने का कष्ट करें :-

- 1 सदस्य का नाम _____
- 2 पिता का नाम _____
- 3 बैंक द्वारा सदस्यता प्रदान करने की तिथि
सदस्य संख्या _____
- 4 व्यवसाय का पूरा नाम, पता एवं टेलिफोन
नम्बर _____
- 5 (अ) संरचना (व्यक्तिगत, पूर्ण स्वामित्व
साझेदारी, संयुक्त हिन्दू परिवार) _____
(ब) मालिक/साझेदारों का पूरा नाम एवं घर
के पते _____
(स) व्यवसाय कब स्थापित हुआ _____
(द) व्यवसाय का प्रकार, मुख्य वस्तुओं के
नाम जिनका व्यापार करते हैं। _____
- 6 क्या दूकान आपकी स्वयं की है या किराए
पर ? यदि किराए पर है, तो किस नाम से
है ? _____
- 7 फर्म/साझेदारों द्वारा चुकाई गई अंतिम
आयकर की रकम व दिनांक (दोनों का
विवरण अलग-अलग देवें) _____
- 8 ऋण सीमा का राशि जो चाहिए
(अ) रहन ऋण _____
(ब) दृष्टि बन्धक ऋण _____
- 9 अवधि जब तक के लिए सुविधा चाहिए _____
- 10 ऋण लेने का प्रयोजन क्या है ? _____
- 11 आपके बैंक में चल रहे खातों का विवरण :-

खातों का प्रकार

खोलने की तिथि

जमा अधिनियम/
न्यूनतम

औसत बेलेन्स जो
रखा गया

12. अन्य बैंक का नाम, यदि कोई जिसमें खाता हो :-

बैंक का नाम	खाते का नाम	खाता खोलने की तिथि	औसत बेलेन्स जो रखा गया	ऋण सुविधा प्राप्त है।	पिछले 12 माह में कितनी सीमा तक उपयोग हुआ	ऋण आवेदन की तिथि तक बकाया

13. व्यवसाय का पिछला कार्य-विवरण :-

20

20

आगामी साल का

अनुमानित कार्य 20

(ब) कुल बिक्री

(ख) खरीद व समस्त खर्चे घटाने पर

(ग) शुद्ध लाभ/हानि

14. फर्म की अन्य शाखा अथवा (आईडेन्टीकल एसोसिएटेड फर्म) फर्म के नाम, पूरे पते सहित लिखें

15. व्यवसाय संबंधी लायसेन्स और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ब्यौरा लिखें यदि कोई हो

16. व्यक्तियों की संख्या जो व्यवसाय में नियोजित है :-

(अ) पूरे समय

(ब) पार्ट समय

17. अन्य फर्म/व्यक्तिगत जिनमें फर्म का व्यवसाय व लेन-देन रहा है/चल रहा है का उल्लेख करें व विवरण दें।

(अ) माल की सप्लाई करने वाली

1. श्री/मैं.

2 श्री/मैं.

(ब) उपभोक्ता

1. श्री/मैं.

2 श्री/मैं.

18. गारन्टी देने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम, पता तथा अन्य विवरण :-

(1) (2)

पता पता

कुल साधन व सम्पत्ति कुल साधन व सम्पत्ति

दायित्व दायित्व

शुद्ध सम्पत्ति शुद्ध सम्पत्ति

19. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को फर्म के आर्थिक आँकड़े :-

देनदारियाँ	रुपया	सम्पत्ति	रुपया
(क) व्यवसाय में पूंजी नियोजन		रोकड़ बैंक शेष	
(ख) बैंक से लिया हुआ ऋण मित्रों तथा संबंधियों से लिया ऋण		व्यापारिक लेनदारियाँ स्टॉक	
(ग) व्यापारिक देनदारियाँ		अचल सम्पत्ति	
(घ) अन्य देनदारियाँ		अन्य सम्पत्ति यदि कोई हो	
योग		योग	

1. मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी में पूर्ण रूप से ठीक है एवं सत्य हैं।
2. यदि यह ऋण सुविधा दी जाती है तो उस ही उपयोग में लाई जावेगी जिसके लिए स्वीकृति की गई है।
3. मैं/हम यह भी सहमति देते हैं कि, यदि ऋण सुविधाएं दी गई तो केवल आपकी बैंक से लेन-देन करेंगे और यह भी स्वीकार करते हैं कि, जब तक यह ऋण सुविधा उपलब्ध है अन्य बैंक से आपको लिखित अनुमति बिना ऋण नहीं लेंगे।

भवदीय

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर/सत्यापित

शाखा व्यवस्थापक
दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑप. बैंक लि.,
शाखा

-: आवेदन पत्र संबंधी आवश्यक निर्देश :-

इस आवेदन-पत्र के साथ निम्न दस्तावेजात संलग्न करने आवश्यक हैं।

1. गत 3 वर्ष का चिट्ठा, लाभ-हानि खाता की सत्यापित प्रतिलिपि तथा देनदारियों व लेनदारियों की सूची भी संलग्न करें।
2. साझेदारी बिलेस एवं रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र यदि फर्म साझेदार है।
3. फर्म व साझेदारी की स्थायी/अचल सम्पत्ति का विवरण जो इस फर्म के हक में है, प्रस्तुत करें।
4. फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
5. दुकान संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र।
6. विक्रय कर संख्या राज्य एवं आयकर संख्या।
7. जमानत में प्रस्तुत संबंधी सम्पत्ति के दस्तावेजों की फोटो प्रति।
8. ऋणी व जमानतदारों की 61 माह की रु. 1000/- की मियादी रसीद विरुद्ध नोमिनल सदस्य व नोमिनल फिस 101/- जमा करने की रसीद।
9. स्थानीय समिति बैंकों का अदेय प्रमाण-पत्र (Nodasse Certificate) और शपथ-पत्र।
10. ऋण स्वीकृति की तथ्यों सहित रिपोर्ट (Aprisee Report)।

दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा (राज0)

दिनांक :

ऋण बकाया/बकाया नहीं प्रमाण-पत्र

श्री पुत्र श्री
निवासीतहसील.....जिला-बाँसवाड़ा
को हमने के लिए ऋण देने का निश्चय
किया है। कृपया नीचे दिये गये प्रपत्र में यह बताने का कष्ट करें कि, उपर्युक्त व्यक्ति को
आपके कार्यालय का कोई ऋण मूल व ब्याज आदि बकाया तो नहीं है।

शाखा प्रबन्धक

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बाँसवाड़ा
2. बैंक ऑफ बड़ौदा
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. दी बैंक ऑफ राज.लि. बाँसवाड़ा
5. भूमि विकास बैंक
6. डी.बी.के.जी.बी. बाँसवाड़ा
7. भारतीय स्टेट बैंक
8. राज. वित्त निगम
9. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
10. सहकारी समिति लेम्पस् ()
11. यूनियन बैंक इंडिया
12. सी.सी.बी., सीटी ब्रांच
13. सी.सी.बी., नई आबादी ब्रांच
14. एस.बी.बी.जे. माही कॉम्पलेक्स, आजाद चौक

- 5 -
(नोन ज्युडीशियल स्टॉम्प रु0 10/— पर)
निर्धारित स्टॉम्प पेपर पर

शपथ—पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
जातिआयु निवासी ग्राम
पोस्ट तहसील जिला बाँसवाड़ा ।

शपथपूर्वक लिख रहा हूँ कि मैंने व्यक्तिगत ऋण योजना (पर्सनल ऋण योजना) के तहत अपने वेतन के आधार पर अथवा व्यावसायिक आधार पर किसी भी अन्य बैंक से ऋण प्राप्त नहीं किया है।

मैंने व्यक्तिगत ऋण योजना (पर्सनल ऋण/.....) में प्रथम बार ही दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा की शाखा से रुपया(अक्षरे रुपये)
ऋण हेतु आवेदन किया है।

उपर्युक्त कथन मैंने अपने पूर्ण होशोहवास में लिखकर दिया है, जो सही है। वक्त जरूरज काम आवे।

हस्ताक्षर

नोट :- ऋण आवेदनकर्ता द्वारा अन्य बैंकों से नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र के अभाव में उपर्युक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- : सहयोगी सदस्यता हेतु आवेदन-पत्र : -

दिनांक :-

प्रबन्ध निदेशक महोदय,
दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
प्रधान कार्यालय, बाँसवाड़ा।

द्वारा :- शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी.

छाया चित्र

महोदय,

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
आपकी बैंक का सहयोगी सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ। हमें/मुझे बैंक के सभी नियम मान्य हैं।

1. नाम सदस्य/फर्म/संस्था आयु वर्ष
2. पिता/पति/मालिक का नाम श्री जाति
3. निवासी व्यवसाय
4. वर्तमान पत्र-व्यवहार का पता
मु.पोस्ट तहसील जिला फोन नं.
5. मूल निवास का स्थाई पता
मु.पोस्ट तहसील जिला फोन नं.
6. व्यवसाय का प्रकार : पूर्ण स्वामित्व/साझेदारी : दूरभाष नम्बर
7. व्यवसाय स्थापित दिनांक/वर्ष
8. शाखा में प्रार्थी का प्रचलित खाता : चालू/बचत
9. उत्तराधिकारी का नाम प्रार्थी से संबंध आयु वर्ष
10. नियोजक का नाम व पता (यदि कर्मचारी है, तो)
11. सदस्य बनने का उद्देश्य :-

(1) ऋण लेना है, तो ऋण का प्रयोजन

(2) जमानतदार है, तो ऋणी का नाम व ऋण का प्रयोजन, जिसके लिए जमानत देनी है।

दिनांक :

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम

श्री पुत्र श्री जाति
निवासी जिले का रहने वाला है।
मैंने इनके व्यवसाय/आवास-स्थल का मौका मुआयना कर लिया है। व्यक्ति/संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी कर ली गई है। व्यक्ति/संस्था से सहयोगी सदस्यता की राशि रुपये
प्राप्त कर एफ.डी.आर. एकाउंट नम्बर में दिनांक
को जमा कर दिये गये हैं, तथा रुपये प्रवेश शुल्क की राशि प्राप्त कर दिनांक से प्रधान कार्यालय, बैंक को भिजवा कर सिफारिश की जाती है कि, व्यक्ति/संस्था को बैंक की सहयोगी सदस्यता स्वीकृत की जावे।

शाखा प्रबन्धक,

शाखा

आज दिनांक को श्री पुत्र श्री
..... को सहयोगी सदस्यता स्वीकृत की गई है। सहयोगी सदस्यता क्रमांक होगा।

उप-महाप्रबन्धक



क्रमांक : बी.सी.सी.बी. / बी / लेखा /

दिनांक

शाखा प्रबन्धक,

शाखा

विषय :- ऋण रुपये

अक्षरे रुपये

मात्र में निवासी

स्वीकृत करने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक दिनांक

आप द्वारा मैसर्स प्रोपाईटर श्री
की ऋण पत्रावली बाबत (.....) हेतु दिनांक
को तैयार कर प्रेषित की गई है, आप द्वारा संबंधित पत्रावली पर की गई सिफारिश के
आधार पर प्रार्थी मैसर्स को हेतु
ऋण रुपये अक्षरे रुपये
मात्र की स्वीकृति दी जाती है। आप अपने स्तर पर ऋण वितरण से पूर्व निर्दिष्ट शर्तों की
पूर्ति करा कर ऋण वितरण करें एवं ऋण वितरण पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण
करें इसमें किसी भी प्रकार की भूल त्रुटी होगी तो आप की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी,
मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे।

1. प्रतिभूति :-

बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कोलेटर सेक्युरिटी के मूल दस्तावेज प्राप्त किये
जावें। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के विरुद्ध कोलेटर सेक्युरिटी में प्रार्थी
के के मालिकाना हक के भवन/प्लॉट व मिलकीयत एवं
कब्जे का भवन/प्लॉट जो की दिनांक को बजरिये रजिस्ट्री
दस्तावेज श्री निवासी
.....तहसील जिला क्रय किया है
को इक्वीटेबल मोरगेज में लेवें। बैंक के विधि सलाहकार की टिप्पणी के मुताबिक कार्य
करें इसका इन्द्राज डॉक्यूमेंट रजिस्टर में करावें व इसको सुरक्षित रखने की जवाबदारी
शाखा प्रबन्धक की होगी।

2. जमानत नामा :-

उक्त ऋण हेतु दो सदस्यों की जमानत स्टॉम्प पर ली जावें, जो आपको स्वीकार हो।
जमानतदारों की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण एवं पहचान प्राप्त की जावे।

3. हाइपोथिकेशन :-

उक्त फर्म की समस्त माल मशीनरी फर्नीचर व अन्य सामान (माल) इत्यादि बैंक के
हाइपोथिकेशन में रहेगा। उस पर बैंक शाखा की नेम प्लेट लगाई जावें।

4. बीमा :-

दृष्टि बंधक मशीनरी एवं फर्नीचर व अन्य सामान (माल) का बीमा, बीमे के सभी प्रकार के जोखिम होना चाहिये। संयुक्त बीमा बैंक व पार्टी के नाम से करावें, जिसका समस्त खर्च पार्टी द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त बीमा जब तक बैंक ऋण रहेगा पार्टी समय पूर्व करवाना होगा। शाखा को बीमा नवीनीकरण की सूचना पूर्व न मिलने पर सिधे ही करवाया जाकर बीमे की राशि पार्टी के खाते से नामे कर लेवें।

5. उद्देश्य :-

उक्त ऋण जिस कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है, आवेदन पत्र के अनुसार उसी कार्य को करवाया जाये।

6. भुगतान प्रक्रिया :-

(अ) मुताबिक कोटेशन सामान क्रय किया जाना अनिवार्य है। मार्जिन मनी की राशि प्रथम बैंक में जमा करावें। ऋणी की सहमति से भुगतान सीधे ही पार्टी को करावें एवं बिल व रसीद प्राप्त की जावें।

(ब) ऋण सुविधा बैंक द्वारा जारी दर्शाए निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जावें।

7. ब्याज दर :-

बैंक द्वारा पार्टी से उक्त स्वीकृत ऋण पर ब्याज वसूल करें उक्त ऋण पर मासिक ब्याज वसूल किया जावें। ब्याज की राशि का भुगतान नहीं होने पर ब्याज की राशि को मूलधन में जोड़ दिया जावें।

8. दण्डनीय ब्याज :-

पार्टी द्वारा समय पर ऋण का भुगतान नहीं करने पर 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जावे।

9. ऋण की अवधि :-

(अ) उक्त ऋण की अवधि वर्ष होगी। पुनः भुगतान मासिक किश्तों में वसूल किया जावे।

(ब) उक्त ऋण की अवधि तक वैध रहेगी, इनके पश्चात् नियमानुसार लेन-देन के आधार पर नवीनीकरण होगी।

10. सत्यापन :-

(अ) स्थापित इकाई एवं इसमें लगे समस्त उपकरण मशीनें, फर्नीचर व अन्य का भौतिक सत्यापन आप स्वयं करेंगे। इसकी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट लेते रहेंगे। बैंक के उच्चाधिकारियों वित्तिय संस्थाओं द्वारा इकाई का निरीक्षण व लेखों की जानकारी कर सकेंगे।

(ब) दुकान, गोदाम एवं इसमें रखे गये समस्त सामान का आप स्वयं भौतिक सत्यापन समय-समय पर करें, एवं मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट लेते रहें, बैंक के उच्चाधिकारियों/वित्तिय संस्थाओं द्वारा आपकी फर्म का निरीक्षण व लेखों की जानकारी कर सकेंगे।

11. कानूनी सुनिश्चितता :-

ऋण स्वीकृति से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी सुनिश्चितता के बारे में जारी पत्र क्रमांक सी.सी.बी./बी/लेखा/2001-02/8176-84, दिनांक 19.10.2001 की पालना सुनिश्चित की जावे।

12. अन्य शर्तें :-

1. ऋणी व जमानतदारों को "स" श्रेणी का विधिवत् सदस्य बनाया जावे व निर्धारित राशि वसूल करें।
2. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में सर्वाधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेंगे।
3. जब तक उक्त ऋण बकाया रहेगा, सभी प्रकार के लेन-देन शाखा के माध्यम से ही करावें।
4. बैंक के पत्र क्रमांक 1051-92, दिनांक 21.04.1999 के अनुसार स्टॉम्प शुल्क लेवें।
5. राज्य सरकार द्वारा स्टॉम्प शुल्क के संबंध में जारी संशोधन के अनुसार यदि कोई अतिरिक्त राशि बनेगी तो तदनुसार पार्टी से वसूल करें, इस हेतु पार्टी से लिखित सहमति प्राप्त की जावे।
6. ऋण स्वीकृति की अवधि स्वीकृत दिनांक से 3 माह होगी अतः अन्दर म्याद ऋण वितरण करें।
7. प्रोसेसिंग शुल्क ऋण राशि का 1 प्रतिशत चार्ज करें।
8. अ) ऋण की किश्तों के अग्रिम चैक(अन्य बैंक के) बैंक के पक्ष में प्राप्त करावें।
ब) प्रतिमाह/त्रैमासिक स्टॉक स्टेटमेंट अगले माह की 10 तारीख तक प्राप्त करें।
स) बैंक को अधिकार होगा कि, ऋण सीमा कमी अथवा निरस्त कर राशि एक मुश्त वसूल कर सकेंगी।
9. ऋण स्वीकृति से पूर्व निम्न दस्तावेज मुख्यतः पार्टी से/जमानतदारों से भरवाये जावें -
 1. स्वीकृति पत्र (लेटर ऑफ टर्म एण्ड कन्डीशन)
 2. वचन-पत्र (प्रोमिसरी नोट) रेवेन्यू सहीत
 3. अविरल-पत्र (लेटर ऑफ वेवर)
 4. लेटर ऑफ लियन सेट ऑफ
 5. लेटर ऑफ कन्टीन्यू सेक्योरिटी
 6. हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट फॉर लोन स्टॉम्प पर
 7. लोन एग्रीमेंट स्टॉम्प पर
 8. लेटर ऑफ गारन्टर स्टॉम्प पर
 9. लेटर ऑफ नेगेटीव लियन फार्म ए.बी.सी.
 10. एक्वीटेबल मोरगेज डीड स्टॉम्प पर
 11. लेटर ऑफ हेयर (सिन्स एक्सपायर्ड)
 12. लेटर ऑफ अन्डरटेकींग (बाबत स्टॉम्प)
 13. अन्य आवश्यक पत्रादि।

प्रबन्ध निदेशक,
बैंक

प्रतिलिपि :-

श्री निवासी
को भेजकर लेख है कि, यदि आपको उक्त शर्तें स्वीकार हो तो शाखा प्रबन्धक
..... से सम्पर्क करें।

प्रबन्ध निदेशक,
बैंक

दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा

- : कार्यालय टिप्पणी मय चैक लिस्ट : -

सी.सी.एल. व्यवसायिक लोन फार्म

योजना :- “केश क्रेडिट लिमिट (फर्म, ट्रेडर्स), दृष्टि बन्धक/बन्धक”

ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक संख्या ऋण
आवेदन राशि ऋणी श्री पुत्र
श्री नो. सं. प्रोपाईटर मैसर्स
.....
निवासी पोस्ट तहसील

गारन्टर :-

1. श्री पुत्र श्री नो. सं.
2. श्री पुत्र श्री नो. सं.

ऋण का उद्देश्य :- केश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत/नवीनीकरण/वृद्धि हेतु
आवेदन/कार्यशील पूंजी लिमिट ऋण स्वीकृति चैक लिस्ट :-

	पृष्ठ संख्या
1 ऋण आवेदन पत्र (व्यापार)	() से ()
2 व्यापार एवं क्रेडिट रिपोर्ट (शाखा प्रबन्धक द्वारा)	() से ()
3 दो गारन्टर स्टेटमेंट	() से ()
4 राशन कार्ड की प्रति	() से ()
5 नो-ड्युज प्रमाण-पत्र	() से ()
6 गत 3 वर्ष का संतुलन चित्र, लाभ-हानि खाता, व्यापार खाता की सत्यापित प्रतिलिपी।	() से ()
7 स्टॉक स्टेटमेंट, देनदारों, लेनदारों की सूची।	() से ()
8 मालिकाना फर्म के लिये प्रोपाइटरशीप का घोषणा-पत्र। रजिस्टर्ड पार्टनरशीप डीड, कम्पनी के लिये “मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स”।	() से ()
9 फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र।	() से ()
10 दूकान संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र, लाईसेंस।	() से ()
11 विक्रय कर संख्या (राज्य एवं केन्द्र) की प्रति, आयकर रिटर्न की प्रति।	() से ()
12 किरायानामा अथवा लीजडीड की प्रति।	() से ()
13 अचल सम्पत्ति की “विधि रिपोर्ट”	() से ()
14 सर्व प्रमाण-पत्र	() से ()
15 अचल-सम्पत्ति के मूल दस्तावेज	() से ()
16 सम्पत्ति रहन शपथ-पत्र	() से ()
17 वेल्युशन रिपोर्ट	() से ()

ऋणी एवं गारन्टर भरोसेमन्द व ईमानदार हैं तथा इनकी मार्केट साख संतोषजनक है। मेरे द्वारा बैंक को रहन रखी जाने वाली अचल सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। अचल सम्पत्ति की मार्केट वेल्यु रु. लाख है। जो वाजिब है एवं आवेदित ऋण की 2 गुना अथवा इससे अधिक है। अतः उक्त आवेदक को राशि रु. की केश क्रेडिट लिमिट (दृष्टि बंधक/बन्धक) ऋण स्वीकृत कराने की सिफारिश की जाती है।

शाखा प्रबन्धक,
शाखा

दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा

- : कार्यालय टिप्पणी मय चैक लिस्ट : -

सी.सी.एल. व्यवसायिक लोन फार्म

योजना :- “केश क्रेडिट लिमिट (फर्म, ट्रेडर्स), दृष्टि बन्धक/बन्धक”

ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक संख्या ऋण
आवेदन राशि ऋणी श्री पुत्र
श्री नो. सं. प्रोपाईटर मैसर्स
.....
निवासी पोस्ट तहसील

गारन्टर :-

1. श्री पुत्र श्री नो. सं.
2. श्री पुत्र श्री नो. सं.

ऋण का उद्देश्य :- केश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत/नवीनीकरण/वृद्धि हेतु
आवेदन/कार्यशील पूंजी लिमिट ऋण स्वीकृति चैक लिस्ट :-

	पृष्ठ संख्या
1 ऋण आवेदन पत्र (व्यापार)	() से ()
2 व्यापार एवं क्रेडिट रिपोर्ट (शाखा प्रबन्धक द्वारा)	() से ()
3 दो गारन्टर स्टेटमेंट	() से ()
4 राशन कार्ड की प्रति	() से ()
5 नो-ड्युज प्रमाण-पत्र	() से ()
6 गत 3 वर्ष का संतुलन चित्र, लाभ-हानि खाता, व्यापार खाता की सत्यापित प्रतिलिपी।	() से ()
7 स्टॉक स्टेटमेंट, देनदारों, लेनदारों की सूची।	() से ()
8 मालिकाना फर्म के लिये प्रोपाइटरशीप का घोषणा-पत्र। रजिस्टर्ड पार्टनरशीप डीड, कम्पनी के लिये “मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स”।	() से ()
9 फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र।	() से ()
10 दूकान संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र, लाईसेंस।	() से ()
11 विक्रय कर संख्या (राज्य एवं केन्द्र) की प्रति, आयकर रिटर्न की प्रति।	() से ()
12 किरायानामा अथवा लीजडीड की प्रति।	() से ()
13 अचल सम्पत्ति की “विधि रिपोर्ट”	() से ()
14 सर्व प्रमाण-पत्र	() से ()
15 अचल-सम्पत्ति के मूल दस्तावेज	() से ()
16 सम्पत्ति रहन शपथ-पत्र	() से ()
17 वेल्युशन रिपोर्ट	() से ()

ऋणी एवं गारन्टर भरोसेमन्द व ईमानदार हैं तथा इनकी मार्केट साख संतोषजनक है। मेरे द्वारा बैंक को रहन रखी जाने वाली अचल सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। अचल सम्पत्ति की मार्केट वेल्यु रु. लाख है। जो वाजिब है एवं आवेदित ऋण की 2 गुना अथवा इससे अधिक है। अतः उक्त आवेदक को राशि रु. की केश क्रेडिट लिमिट (दृष्टि बंधक/बन्धक) ऋण स्वीकृत कराने की सिफारिश की जाती है।

शाखा प्रबन्धक,
शाखा

No.

Dated

.....

The Branch Manager,
The Banswara Central Co-op, Bank Ltd.

.....

SUBJECT :- SANCTION OF C.C.L./ TERM LOAN OF
Rs. in my/our favour.

Dear Sir,

The terms and conditions as laid down in your sanction letter No.
..... dated in respect of above loan is acceptable to me/us.

Thanking you,

Your's faithfully,

()

Name with signature

Address :-

.....

.....

दृष्टिबन्धक लेख

संख्या

राशि

नाम

दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., (उसके आगे बैंक को संज्ञा दी गई हैं) ने (जिसको आगे ऋण की संज्ञा दी गई) की प्रार्थना पर उद्देश्य से ऋण प्रार्थना करने की स्वीकृति पर एक खाता रुपया तक का ऋण के नाम खोला है अथवा खोलना स्वीकार किया है, जो खाता बैंक द्वारा समाप्त न किये जाने तक चालु रहेगा और जिसकी सुरक्षा के लिये चल-सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक करने हेतु बैंक एवं ऋणी (जो व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप से बाध्य होना स्वीकार करते हैं) के मध्य निम्नलिखित करार किया जाता है।

1. कि, ऋणी सम्मिलित सूचिका में सामान्यतः वर्णित सामान पर, बैंक के पक्ष में प्रथम प्रभार स्थापित करता है। ऋणी का यह सामान स्टोर्स, स्टॉक कच्चा अथवा तैयार माल, मशीनरी, फर्निचर, आदि जो भी सामान ऋणी के गोदाम, कार्यालय फेक्ट्री अथवा अन्यत्र किसी स्थान में रखा हुआ अथवा किसी भी समय ऋणी द्वारा बैंक को देय रकम के भुगतान की सुरक्षा हेतु है, वह आगे उप प्राधियित सामान (हाईपोथिकेटेड) संबंधित किया जावेगा—इस अनुबन्ध में वर्णित बैंक को देय रकम के अर्थ में किसी समय भी मूलधन को अवशेष रकम के साथ-साथ निम्न प्रकार उल्लेखित दर से सभी दिन प्रतिदिन का ब्याज व सभी ऋण अथवा दायित्व, जिसका वर्णन आगे चरण(13) में किया गया है और यह रकम जो भी उस प्राधियित सामान के संबंध में अथवा उसकों बेचने आदि के संबंध में बैंक द्वारा चार्ज अथवा खर्च की जावेगी, समझी जावेगी।
2. कि, उप प्राधियित सामान और उसकी बिक्री वसूली एवं इन्शोरेन्स से प्राप्त सभी प्रतिपत्र एक मात्र बैंक का सम्पत्ति की तरह विशेषतः इस दृष्टि-बन्धक हेतु रहेगा और ऋणी उसकी अथवा उसके किसी भाग को बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य ऋण की एवज में बन्धक अथवा प्रतिभूति स्वरूप नहीं रखेगा और उस पर अथवा उसके किसी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नहीं होने देगा और न कभी ऐसा कोई कार्य रहेगा कि, जिसमें उप प्राधियित सामान अथवा उसकी बिक्री वसूली एवं इन्शोरेन्स से प्राप्त किसी प्रतिफल को हानि पहुँचे अथवा जिस कार्य के लिये बैंक द्वारा लिखित में निषेध किया गया हो।
3. कि, ऋणी बैंक का पूर्व स्वीकृति से उप प्राधियित सामान का किसी प्रकार सभी व्यय कर सकता है अथवा बेच सकता है जब कि वह कम से कम उस सामान के मूल्य के बराबर रकम पहले से खाते में जमा कर दे अथवा बैंक को लिखित स्वीकृति प्राप्त करके मूल्य के बराबर अन्य सामान उसके स्थान पर बंद कर दें।

4. कि, ऋणी बैंक कर्मचारियों अथवा ऐजेन्ट्स को समय-समय पर अपने गौदामों अथवा उस स्थानों में जहाँ उप प्राधियित सामान रखा हो, उस सामान को निरीक्षण, देखभाल, मूल्यांकन करने अथवा सूची बनाने हेतु प्रवेश करने देगा और बैंक अथवा उसके कर्मचारियों को तदर्थ आवश्यक सुविधाएं देगा।
5. कि, ऋणी उन गोदामों का अथवा स्थानों का जहाँ उप प्राधियित सामान रखा हो, किराया एवं कर आदि समय-समय पर अदा करता रहेगा और उनको सब प्रकार भार मुक्त रहेगा।
6. कि, उप प्राधियिक सामान आग, चोरी अथवा खराबी के कारण हुई सब प्रकार की क्षति की पूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी अतः यह बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनी में बैंक के हित में उप प्राधियिक सामान का भाग चोरी आदि से रक्षा आवश्यक इन्शोरेन्स कर पोलिसियाँ व किश्तों की रसीदे बैंक के नाम करके बैंक द्वारा मांगी जाने पर फोरन देगा और यदि ऐसा न करेगा तो तीन दिन बाद बैंक को ऋणी के खर्च से ऐसा इन्शोरेन्स कराने का अधिकार होगा।
7. कि, उक्त इन्शोरेन्स के कारण जो कुछ रकम प्राप्त होगी, यह रकम बैंक को देय रकम के भुगतान के लिये काम आयेगी और अधिक होने पर शेष रकम चरण (13) में वर्णित कार्यों में खर्च जावेगी।
8. कि, ऋणी उप प्राधियित सामान के बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य और बैंक को देय रकम के बीच प्रतिशत् न्यूनतम अन्तर बैंक के हित में सदैव बनाये रखेगा। यह अन्तर बैंक द्वारा किसी समय निर्धारित मूल्य पर आंका जा सकेगा व इस अन्तर को सदा बनाये रखने के लिये ऋणी या तो नकद रकम खाते में जमा कराता रहेगा अथवा ऐसी मूल्य का अन्य सामान बैंक की लिखित स्वीकृति से उप प्राधियित करता रहेगा।
9. ऋणी इस दृष्टि बंधक लेख के अन्तर्गत बैंक से प्राप्त समस्त ऋण ब्याज व अन्य खर्च आदि सहित ऋण प्राप्त करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में अथवा 31.03..... जो भी पहले हो चुका देगा।
10. ब्याज की शर्त :-
 - अ) कि, ऋणी बैंक द्वारा उसको उधार दिये गये मूलधन पर प्रतिशत् वार्षिक दर तिमाही के अन्त में अर्थात् 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, 31 मार्च तथा 30 जून को नकद ब्याज अदा करेगा।
 - ब) कि, बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर यदि ऋणी ने किसी समय बैंक को देय सम्पूर्ण रकम नहीं चुकाई तो वह कुल मांगती रकम पर निर्धारित दर से प्रतिशत् अधिक दर से ब्याज का देनदार होगा।

11. बैंक को देय रकम के भुगतान को उपरोक्त शर्तों का अथवा इस इकरार की किसी शर्त का ऋणी द्वारा उल्लंघन होने पर बैंक के अफसरों अथवा एजेन्ट को ऋणी को बिना नोटिस दिये, परन्तु ऋणी के हर्जे खर्चे और यदि जरूरत हो तो ऋणी के मुख्तार की तरह ऋणी के ब्याज अथवा को ओर से उन सभी स्थानों पर जहाँ उप प्राधियित सामान रखा हो प्रवेश करने का, रहने का उप प्राधियित सामान का कब्जे में लेने का, अथवा सम्भाल लेने का अधिकार होगा — इस कार्य के लिये बैंक के किसी अफसर को रिसीवर के रूप में नियुक्त करके, नीलामी करके, बेचने का व्यक्तिगत करार करके अथवा अन्य किसी प्रकार भी उप प्राधियित सामान या उसके किसी मांग का प्रबंध करके बैंक के उपरोक्त अफसरों के द्वारा इस प्रकार संबंध में स्वेच्छा से किसी प्रकार का समझौता करके हिसाब करके वसूली करके अथवा अन्य किसी प्रकार सौदा करके बेचने से प्राप्त रकम को बैंक को देय किसी रकम के भुगतान के लिये ले सकता है मगर बैंक अपने उक्त अधिकारों के प्रयोग के कारण हुए किसी खर्चे का अथवा हर्जे का जिम्मेवार नहीं होगा। बैंक अपने-अपने अधिकारों के संबंध में न्यायालय से अथवा राजस्थान, को-ऑप., सोसायटी एक्ट 1965 अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार वैधिक समस्याएं भी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा — ऋणी करार करता है कि, वह बैंक द्वारा रखे गये गिरवी सामान के हिसाब को सही मानकर खाते में बाकी रही कमी को पूरा करने का स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार रहेगा।
12. कि, यदि उपरोक्त प्रकार बेचान से प्राप्त रकम उस वक्त खाते के हिसाब में बाकी रकम के चुकती भुगतान के लिये पर्याप्त नहीं हो, तो बैंक ऋणी का अथवा उसमें किसी का वह सब धन जो बैंक के उस वक्त आधीन हो, तत्त खाते के हिसाब में बाकी बैंक की देय रकम के भुगतान में ले सकता है और यदि बैंक के अधीन ऐसा कोई धन न हो और यदि हो तो वह भी चुकती भुगतान के लिये अपर्याप्त हो तो ऋणी वादा करता है कि, वह चरण (14) में उल्लेखित प्रकार से रखे जाने वाले उस हिसाब पर अदायगी के वादे की स्वीकृति में अपने दस्तखत कर देगा किन्तु इससे बैंक के खाते में किसी भी समय बाकी देय रकम की वसूली करने के संबंध में बैंक की उपरोक्त स्वीकृति से उसके किसी अधिकार पर न तो कोई विपरित प्रभाव होगा न ऐसे अधिकारों में कमी आवेगी, चाहे सारा अथवा अंशतः कोई उप प्राधियित सामान ही क्यों न उपलब्ध हो।
13. कि, उक्त प्रकार बेचान से प्राप्त शुद्ध आय में से यदि बैंक का देय में सभी रकम के चुकती भुगतान के बाद कुछ शेष रहे, तो वह भी बैंक, ऋण अथवा उनमें से किन्हीं के, बैंक के अधीन अन्य खातों की रकम के साथ-साथ बैंक के प्रति ऋण अथवा उनमें से किन्हीं के विरुद्ध व्यक्तिगत अथवा सम्मिलित रूप से अवरोप किन्हीं और लोन्स,

डिस्काउन्टेड बिल्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, गारन्टीज चार्ज चालु या देय अन्य ऋण दायित्व वैधिक या सामाजिक सब प्रकार की जिम्मेदारी सहित चाहे ऋणी दिवालिया करार दिया जा चुका हो अथवा दिया जावे या किसी प्रकार लिक्वीडेशन में हो तो भी, ब्याज सहित चुकती भुगतान करने में लगा सकता है।

14. कि, ऋणी इकरार करता है कि, वह बैंक के एकाउन्टेड अथवा अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए उस हिसाब को, जिसके द्वारा ऋणी की देय रकम की मांग की जावे, बिना वाऊचर दस्तावेज अथवा अन्य लिखावट दिखाने की मांग किए सही मानेगा।
15. कि, यह इकरार समय-समय पर अथवा बैंक को अंतिम देय रकम की सुरक्षा में सदैव प्रतिभूति स्वरूप कायम रहेगा और खाते में किसी समय देय रकम की जमा के उपरांत भी प्रतिभूति अथवा उप प्राधियित सामान इसी प्रकार तब तक सुरक्षित समझा जावेगा जब तक कि, बैंक लिखित में इस इकरार को समाप्त नहीं कर देता।
16. कि, ऋणी घोषित करता है/करते हैं कि, सब उप प्राधियित सामान ऋणी की एक मात्र सब प्रकार के भार से पूर्ण मुक्त संपत्ति है और आयन्दा भी शाखा इसके अन्तर्गत आयेगा वह भी इस प्रकार भारमुक्त होगा कि, ऋणी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है अथवा ऐसे किसी कार्य में भाग नहीं लिया है अथवा ऐसे किसी आवश्यक कार्य करने में भूल-चूक नहीं की है, जिससे कि उप प्राधियिक सामान अथवा उसमें से कुछ वे बन्धक नहीं रख सके और प्रतिमाह करते हैं कि वे बैंक चाहने पर वह सब कार्य अपने खर्चे से करें जिससे कि, इस इकरार का बैंक के हित में अक्षरक्षः सही प्रकार पालन हो सके अथवा इकरार के पालन में बैंक को सुविधा हो।
17. कि, यदि ऋणी फर्म है अथवा सदस्य है तो फर्म के नाम व विधान में इस इकरार की अवधि तक कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा जिससे कि, ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के उसके वर्तमान दायित्व से छुटकारा मिलता हो।

इस दृष्टिबंधक लेख की साक्षी में आज दिनांक को ऋणी ने निम्न गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं कि सनद् रहे और समय पर काम आवें।

स्थान :-

दिनांक :-

वास्ते,

साक्षी :-
1. श्री
पता
2. श्री
पता

प्रतिज्ञा—पत्र

जो कि, दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा ने

.....
की प्रार्थना पर अपनी किताबों में, प्रार्थी के ऋण खाता/खाते, उसकी अधिकतम ऋण सीमा रु. (अक्षरे.....)

तक खोलना निश्चित किया है। इसके लिए हमें निम्न शर्तें मान्य हैं :-

1. इस प्रतिज्ञा पत्र के अन्तर्गत बैंक में किसी भी समय उस रकम से अधिक रुपया नहीं मांगा जावेगा जो ऋणी के खाते या खातों की कुल देय रु0 से अधिक न होगी। परन्तु ऋणी (जो आगे ऋणी के नाम से सम्बोधित होगी) समस्त रकम के भुगतान के लिये जो कि, उसके नाम इस खाते या खातों में भुगतान करने योग्य है, वह उपरोक्त निर्धारित सीमा से चाहे अधिक भी हो, देने के लिये बाध्य होगी।
2. यदि ऋण की रकम ऋणी के पक्ष में निर्धारित सीमा से जो ऊपर निर्धारित की गई है अधिक हो जाये तो बैंक को यह अन्तिम निर्णय करने का पूरा अधिकार होगा कि, निम्नलिखित धारा 8 के अनुसार लिखे गये वचन पत्र से लिखी गई रकम को कौनसा हिस्सा प्रोनोट में वर्णित धारा 8 के अनुसार सुरक्षित है और कौनसा असुरक्षित है।
3. बैंक इसके लिए स्वतंत्र होगा कि, उक्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ऋण एक या एक से अधिक किश्तों में दें या जिस समय के भीतर व ठीक समझें, दें।
4. बैंक किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिये और बिना कोई भी कारण बताये हुए ऋण देने से मना कर सकती है चाहे ऋणी ने निर्धारित सीमा रु. तक ऋण प्राप्त किया है या नहीं।
5. ब्याज वार्षिक के हिसाब से प्रति मासिक उक्त खाते या खातों के प्रतिदिन के शेष पर अन्तिम कार्य के दिन तक लगाया जावेगा।
6. बैंक द्वारा मांग करने पर जो ऋणी द्वारा उक्त खाता या खातों के अनुसार उसे देय है, उसका भुगतान देय तिथि तक की ब्याज, उपरोक्त दर के अनुसार और कोई भी भार व खर्च जो बैंक द्वारा निर्धारित किये गये हैं अथवा दिये गये हों, का भुगतान भी ऋणी को करना होगा और भार व खर्च आदि के संबंध में बैंक की किताबें प्रमाणित होगी और ऋणी की उनकी सत्यता बिना किसी पत्र या वाऊचर देखें मान्य होगी।
7. यदि बैंक को ऋण वसूल करने में कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी तो ऋणी का ऋण वसूल करने के समय तक का पूरा व्यय बैंक को देना होगा साथ ही कानूनी कार्यवाही करने पर इस संबंध में जो व्यय वाद प्रस्तुत करने के बाद होगा वह भी ऋणी को देना होगा।

8. संबंधित वचन पत्र दिनांक को रुपया
(.....)
को ऋणी द्वारा बैंक के पक्ष में उस रकम के भुगतान के लिये लिखा गया है जो खाते का खातों के अनुसार किसी भी दिन ऋणी पर रहेगा।
9. ऋणी के इन खातों या खाते में किसी समय यदि कोई शेष (बेलेस) जमा (क्रेडिट) होगी तो उस पर बैंक से ब्याज लेने का वह अधिकार नहीं होगा।
10. यदि बैंक चाहेगा तो ऋणी बैंक के पक्ष में सब कच्चा माल तथा तैयार शुद्ध माल, मशीन, मोटर गाड़ियाँ, मकान, औजार आदि ऐसे ऋण से खरीदे गये हो या बनाये गये हों या बनवाये गए हों की कीमत पर बैंक द्वारा स्वीकृत बीमा कम्पनी या कम्पनीयों द्वारा बीमा करावेगा।
11. ऋणी बैंक की मांग पर, यदि उसने कोई बीमा करा रखा है, तो वे समस्त बीमा पॉलिसी जिनकी किश्त का भुगतान किया जा चुका है, बैंक के नाम कर के उसके पूरे लाभ के साथ बैंक को दे देगा। यदि ऋणी उपरोक्त रुपये का बीमा कराने या बीमा पॉलिसी अथवा किश्त की रसीद बैंक को उसकी मांग के तीन दिन के भीतर देने में अथवा उसके हित में परिवर्तन करने में असमर्थ रहा, तो बैंक ऋणी के खर्चे पर बीमा कराने को स्वतंत्र होगा।
12. ऋणी वचन देता है कि :—
- अ — ऋणी ऋण की रकम अधिक से अधिक ऋण प्राप्त करने के बाद निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर ब्याज, सहित तथा हर सूरत में दिनांक तक चुका देगा। सिवाय उस सूरत में जब की बैंक ने उपरोक्त किसी धारा के अनुसार ऋण की अदायगी की मांग की हो, तक कुल रकम तुरन्त जमा करा दी जावेगी।
- ब — ऋण की रकम उसी/उन्हीं कार्य व कार्यों में लगाई जायेगी जिसके लिए कि, वह प्राप्त की गई है।
- स — ऋणी संबंधित विभाग एवं बैंक के अधिकारियों को किसी भी समय अपने उस काम का जिसके लिये ऋण लिया है अथवा अपनी दुकान, कार्यालय, गोदाम एवं प्रतिभूति स्वरूप दी गई सम्पत्ति व मकानात को निरिक्षण करने का पूर्ण अवसर देगा तथा उसमें पूर्ण सहयोग देगा।
- द — बैंक द्वारा प्राप्त ऋण की रकम से खरीद की हुई अथवा प्रतिभूति के रूप में दी गई वस्तु व मकानात को विक्रय बन्धक द्वारा अथवा अन्य किसी ऐसे रूप में परिवर्तित नहीं करेगा जिससे कि, मूल्य के घटने की संभावना हो और अन्य किसी व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं देगा।

क — ऋणी प्रत्येक झगड़ा, मतभेद अथवा प्रश्न जो इस आलेख के संबंध में इस प्रतिज्ञा पत्र पार्टियों अथवा उसके द्वारा अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के बीच में होगा, उसकी संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, उदयपुर खण्ड उदयपुर को पंच फैसले के लिए देना पड़ेगा और संबंध में दोनों हुआ उसका निर्णय अंतिम माना जावेगा और पक्षकार उसके पाबन्द होंगे।

ख — ऋणी उपरोक्त ऋण संबंधी नियमों व शर्तों या जो समय-समय पर संशोधन व परिवर्तन होते रहेंगे, उसके पाबन्द रहेंगे।

13. हम ऋणी की और से इकरारनामा के अन्तर्गत ऋणी ने जो ऋण प्राप्त किया है, उसके एवं उसके ब्याज व इस संबंध में बैंक द्वारा जो अन्य खर्च किए जावें, उसकी पुर्नभुगतान की सुरक्षा के रूप में संलग्न परिशिष्ट में वर्णित सिक्योरिटीज बैंक के पक्ष में बंधक करते हैं। इस बंधक के संबंध में इसके अतिरिक्त निम्न शर्त हमें मान्य हैं व हम वचन देते हैं कि :—

1. उपरोक्त प्रत्याभूति को देने और उसके स्वामित्व की सुपुर्दगी बैंक को करने में यदि बैंक चाहे, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। बैंक चाहे तो उसे बेच कर या किसी और तरिके से सम्पूर्ण ऋण एवं इस संबंध में अन्य कोई व्यय हो तो उसमें वसूल कर सकती है।
2. प्रत्याभूति का पूर्ण व सही विवरण, जो बन्धक है या भविष्य में बन्धक करेगे, हम बैंक को भेजते रहेंगे।
3. जो प्रत्याभूति बन्धक है या भविष्य में बन्धक रखी जावेगी, उस पर किसी प्रकार का अन्य चार्ज या भार उत्पन्न नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रत्याभूति संलग्न सूचि के अनुसार।

स्थान :-

दिनांक :-

वास्ते,

साक्षी :-
1.
पता
2.
पता

- : लोन एग्रीमेंट : -

दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा के पक्ष में

की ओर से बैंक ने मुझे/फर्म को रु. उधार देना स्वीकार किया है। इस संबंध में नीचे लिखी शर्तों का पालन करना स्वीकार किया है, तथा उसके अनुसार हम/मैं बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेंगे/रहूँगा।

1. मैं/हम/फर्म बैंक से लिए गए ऋण के अनुसार बैंक से पक्ष में वचन पत्र दूंगा/देंगे।
2. उपरोक्त ऋण के लिए बैंक एक खाता रखेगा। वचन पत्र में ब्याज अदा करने के लिए किसी प्रकार की कोई शर्त हो तो भी हम प्रतिवर्ष के लिए कर्ज का ब्याज सितम्बर 30, दिसम्बर 31, मार्च 31 एवं जून 30 को नकद अदा करेंगे और ब्याज न अदा करें तो उस तारीख तक की ब्याज की रकम ऋण खाते में नामे लिख देने का बैंक को अधिकार होगा।
3. वचन पत्र में ब्याज की दर के लिए कुछ भी लिखा होने पर भी बैंक को दिए हुए ऋणों पर नीचे लिखी हुई शर्तों के अनुसार ब्याज लगाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

अ- बैंक द्वारा निश्चित अवधि में या मांग पर जो भी प्रति सैकड़ा पहले ही रकम पर ब्याज लगाया और जोड़ा जावेगा।

ब- यदि दिए हुए कर्ज को मियाद तथा बैंक द्वारा बढ़ाई गई मियाद, बाद भी रकम बाकी रहे तो ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर लगाया और जोड़ा जावेगा।

4. वचन पत्र में लिखी हुई रकम यदि निश्चित अवधि के पहले चुकाई जावेगी तो बैंक को स्वीकार करनी होगी और कटती मिति से ब्याज लगाया जावेगा।
5. वचन पत्र की रकम यदि समय पर न चुकाई जावेगी अथवा इस ऋण पत्र की किसी शर्त को भंग किया जावेगा अथवा बैंक की संचालन समिति को सम्पत्ति में फर्म के मालिक या किसी साझेदार के चल जाने के बाद अथवा किसी दूसरे कारणों से यदि बैंक के कर्ज की वसूली होने में कोई खतरा पैदा होने की सम्भावना हो तो बैंक को ऋण खाते की समस्त रकम की एक मुश्त मांगने तथा वसूल करने का हक होगा।
6. जब तक फर्म द्वारा बैंक से लिया गया पूर्ण ऋण मय ब्याज तथा अन्य खर्च आदि के बैंक का अदा नहीं कर दिया जाता तब तक फर्म की कुल वर्तमान तथा भविष्य में अर्जित चल सम्पत्ति जिसमें फर्म द्वारा उत्पादित पूरा स्टॉक भी सम्मिलित होगा पर चाहे वह बैंक के ताले में हो या न हो बैंक का पूरा प्रथम अधिकार होगा तथा फर्म को उपरोक्त सम्पत्ति को बिना बैंक का पैसा जमा कराये या बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना बेचने या रहन करने अथवा अन्य किसी रूप से बंधक करने का अधिकार नहीं होगा।
7. यदि फर्म द्वारा उपरोक्त शर्तों के पालन में किसी प्रकार की कसर रहे या बैंक अपने ऋण की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे तो बैंक को अधिकार होगा कि, फर्म के समस्त स्टॉक व उसकी चल-अचल सम्पत्ति एवं रहन रखी गई सम्पत्ति को बेच कर बकाया ऋण राशि एवं तारीख ब्याज मय खर्च के वसूल कर लेवें। इस कार्यवाही में फर्म की कोई उम्र नहीं होगी।
8. आज दिनांक की इस आलेख पर हमने पूरे होश हवास व अक्ल से पढ़ व समझकर हस्ताक्षर किए हैं।

वास्ते

- : लेटर ऑफ लियन सेट ऑफ : -

1. (जो आगे बैंक कहलायेगा) ने

दिनांक को रु.

(अक्षरेमात्र)

की जमानत पर स्वीकृति किए हैं। अतएव हम/मैं फर्म की ओर से पूर्णतया अधिकृत हैं, इकरार करते हैं कि, जब तक बैंक का वर्तमान तथा आगे लेने वाला ऋण पूर्णतया मय ब्याज तथा अन्य खर्च कमीशन इत्यादि के अदा नहीं हो जाता जब तक फर्म की कुल वर्तमान तथा भविष्य में अर्जित चल-अचल सम्पत्ति जिसमें फर्म द्वारा प्रसारित पूरा स्टॉक सम्मिलित है, चाहे बैंक के अधिकार में या बैंक के ताले में हो या नहीं, बैंक या ऋण में बन्धक रहेगी तथा फर्म को बिना पैसे जमा कराये या बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना क्रय या रहन करने का अधिकार नहीं होगा। व्यापार के संबंध में जो भी लेन-देन किया जावेगा वह सारा बैंक के माध्यम से होगा।

2. फर्म को जो आय होगी, उसमें से बैंक जो खर्चा वाजिब समझे, विचार पर रोकण, ऋण में जमा की जावेगी तथा बाला-बाला खर्च नहीं की जावेगी।
3. फर्म के अधिकार के समस्त माल पर बैंक का पहला अधिकार रहेगा। यदि फर्म द्वारा उपरोक्त शर्तों के पालन में किसी प्रकार की कसर रहे या बैंक अपने ऋण की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे तो बैंक को अधिकार होगा कि, सारा माल, स्टॉक तथा अचल सम्पत्ति अपने कब्जे में कर अपना ताला लगा दें। इस पर फर्म को कोई **अरज** नहीं होगा।
4. आज दिनांक को इस आरेख पर हमने होस हवास व अक्ल से पढ़कर व समझ कर हस्ताक्षर किए हैं।

वास्ते

- : वचन-पत्र : -

रुपया :

दिनांक :

हम/मैं,

मालिक

के अधिकृत मालिक/साझेदार, दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा को
अथवा उसको आज्ञानुसार, मांग करते हैं कि रु. (अक्षरे
रुपया मात्र) जो कि, हमने प्राप्त
किए हैं प्रतिशत् वार्षिक दर से तत्काल चुकाने का वचन देते/देता हूँ।

वास्ते

- : अविरल-पत्र : -

प्रबन्ध निदेशक

दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महोदय,

मैं/हम एक वचन पत्र रु. (अक्षरे रु.
.....मात्र) का संलग्न करते हैं जिस
पर हमने हस्ताक्षर किए हैं जो कि, किसी ऋण राशि के चुकाने हेतु, प्रत्याभूति स्वरूप से
आपके जो हमारे नाम है या बाद में अक्षरे तक नाम हो के भुगतान के लिए देते हैं, यह
राशि अभी हमारे नाम पड़ी है और किसी भी ऋण रुपये तक (जो बाद में हम लेंगे) के
लिए भी जिम्मेदार है। उपरोक्त वचन-पत्र अदेय ऋण की बकाया रकम के पुर्नभुगतान के
लिए प्रत्याभूतिस्वरूप समझा जावे और उपरोक्त वचन-पत्र के प्रति उस समय तक
उत्तरदायी है जब कि उसका चुकता भुगतान नहीं हो जाता है, चाहे ऋण की रकम
समय-समय पर कम होती रहे अथवा समाप्त हो जावे अथवा बढ़ जावे।

दिनांक :

वास्ते

- : जमानत-नामा : -

मैं पुत्र श्री उम्र
निवासी पता

..... सशपथ
बयान कर निम्न जमानत दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा के हक में दिए
देता हूँ :-

1. यह कि, मैं दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., काश्रेणी का
सदस्य हूँ।
2. यह कि, बैंक द्वारा जो ऋण श्री मालिक ने
..... वास्ते ऋण सीमा स्वीकार
की गई है, उक्त ऋण की सुरक्षा में अपनी व्यक्तिगत जमानत दिए देता हूँ।
3. यह कि, मैं मकान/दुकान नं. पता
.....एक मात्र स्वामी हूँ जिसकी बाजार कीमत लगभगरुपया है, जमा में
देता हूँ। उपरोक्त ऋणी द्वारा ऋण चुकाने में चूक करने की दशा में मेरी उपरोक्त दशाईं
गई सम्पत्ति से बैंक की समस्त मूल ऋण मय ब्याज व अन्य खर्च के वसूल करने का हक
होगा।
4. यह कि, बैंक अगर चाहे तो उपरोक्त सम्पत्ति का मूल्यांकन करवा सकती है।
5. यह कि, जमानत में मैं अपनी उपरोक्त सम्पत्ति बैंक में बंधक रख रहा हूँ एवं उस पर भार भी
घोषित कर रहा हूँ।
6. यह कि, उपरोक्त मेरे द्वारा जमानत में दी गई सम्पत्ति आज तक सब प्रकार से भार मुक्त है
एवं इस सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति, संस्था, सरकार अथवा किसी अन्य बैंक का किसी प्रकार
का भार नहीं है।
7. यह कि, उक्त ऋण की सम्पूर्ण अदायगी तक जमानत में दी गई मेरी सम्पत्ति पर आपकी
बैंक के बाद अन्य कहीं कोई भार कायम नहीं करूंगा।

उक्त ऋण की अदायगी में चूक करने की दशा में बैंक का बकाया समस्त ऋण मय
ब्याज के मुझे देय मेरी सम्पत्तियों से मय हर्जा-खर्चा एक मुश्त वसूल करने का पूर्ण अधिकार
बैंक का होगा एवं उसमें मुझे किसी प्रकार का उर्ज व एतराज नहीं होगा।

यह जमानत-नामा मैंने आज दिनांक को मेरी राजी खुशी, होश व
हवास में लिख दिया है जो कि, बैंक के पास सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

गवाह :-

1.

पता

2.

पता

स्वर्गीय (ऋण प्राप्तकर्ता/ओं) नाम्ना
के वैध उत्तराधिकारीयों द्वारा निष्पादन करने हेतु

- : वचन-पत्र : -

अधोहस्ताक्षरी, मैं/हम और
पुत्र/पत्नि जाति निवासी
तहसील जिला (इसके बाद उत्तराधिकारी
कहे जायेंगे) नीचे लिखे अनुसार घोषणा करता हूँ/करते हैं और देता हूँ/देते हैं :-

1. यह कि, मेरे/हमारे पिता/पति श्री का दिनांक
को स्वर्गवास हो गया और मैं/हम उपरोक्त मृतक नाम्ना श्री
का/के एक मात्र पुत्र हूँ/हैं और उनका/उनके एक मात्र वैध उत्तराधिकारी हूँ/हैं और
मेरे/हमारे स्वर्गीय पिता/पति के नाम में स्थित कृषि भूमि से लाभ प्राप्त करता हूँ/करते
हैं।
2. यह कि, मेरे/हमारे स्वर्गीय पिता/पति श्री को बाँसवाड़ा
सी.सी.बी., बाँसवाड़ा की शाखा (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा)
द्वारा दिनांक का एक मध्यावधि ऋण रु. का
..... के लिए स्वीकृत हुआ था। बैंक ने उपरोक्त
उद्देश्य/उद्देश्यों हेतु स्वर्गीय श्री को रु.
(रुपये) ऋण दिए हैं।
3. यह कि, मैं/हम उत्तराधिकारी एतद् मेरे/हमारे स्वर्गीय पिता/पति श्री
पुत्र जाति निवासी
तहसील जिला बाँसवाड़ा द्वारा बैंक से प्राप्त किए ऋण
रु. (रुपये)
के सह ऋणी बनने का तथा उस पर उपचित/उपचित होने वाले ब्याज सहित इस ऋण
राशि को चुकाने का वचन देता हूँ/देते हैं और यह कि मैं/हम उत्तराधिकारी, स्वर्गीय श्री
..... द्वारा बैंक के हक में निष्पादित दिनांक
के बंधक पत्र का/के जिम्मेदार हूँ/हैं और अपने आपको उसके द्वारा बंधित करता
हूँ/करते हैं।
4. यह कि, मैं/हम/मेरे/हमारे स्वर्गीय पिता/पति श्री
द्वारा दिनांक को निष्पादित बन्धक-पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार
उपरोक्त ऋण के रु. (रुपये)
तथा उस पर बैंक के नियमानुसार देय ब्याज व अन्य प्रभार किश्तों में अथवा अन्य तरह से
चुकाने का करार करता हूँ/करते हैं और वचन देता हूँ/देते हैं।
दिनांक एक हजार नौ सौ

हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.

स्थान :-

दिनांक :-

(हस्ताक्षरकर्ताओं के अनपढ़ होने की दशा में कम से कम दो स्वतंत्र अंग्रेजी वाले व्यक्तियों द्वारा फर्म संख्या
एसबीबीजे/एफ-28 ए पर घोषणा भी प्राप्त की जानी चाहिए और इस प्रलेख के साथ जानी चाहिए)

THE BANSWARA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., BANSWARA

The Branch Manager,
The Banswara Central Co-op. Bank Ltd.
Br.....

Sub :- Verification of documents in respect of marketability, mortgageability and clarity of title.

Ref :- Your letter No. Dated

Dear Sir,

I have carefully examined the following documents related to plot No. of Shri Of the sub-registered and AIG(Stamps) on Date

- 1 Photo State copy of Patta dated Issued by in favour of Shri
- 2 Original Sale deed dated executed by Sh in favour of Sh I certify you after careful examination of the documents so referred to herein above that title of Shri over the plot No. of Shri is clear, marketable, mortgageable, from any encumbrance, reasonable doubt and any defect what so ever.

I certify that Banswara Central Co-op. Bank Ltd.; may relying and acting on my certificate, proceed to sanction the banking facilities applied for by agreed to equitably mortgage his above said property along with land and building constructed thereon or to be constructed thereon in favour of by depositing the title deed of the sale property.

I also certify to be equitably mortgagee by Sh With is not covered by the provisions of Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 and the provisions of the said Act are not applicable to such on equitable mortgage That Sh will be creating a valid equitable mortgage in favour of by depositing the following documents.

- 1- Photo State Copy of Patta dated Issued by Additional Collector, Agriculture Land Conversion, in favour on Original sale deed dated executed by Sh

Thanking You.

Your Faithfully

-: Schedule above refer to :-

- 1- Name of the Person To Whom Banking facilities to be sanctioned.
- 2- Name of the person who will be creating a valid equitable mortgage.
- 3- Particulars of the immovable property being offered as security by way of equitable mortgage.

North :

South :

West :

East :

Area :

OR :

— : शपथ-पत्र / प्रमाण-पत्र :-

शाखा प्रबन्धक महोदय,
दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
शाखा ।
महोदय,

निवेदन है, कि मैं/मैसर्स का
मालिक/भागीदार निवासी ग्राम तहसील जिला
बाँसवाड़ा का निवासी हूँ। हम शपथ पूर्वक बयान/यह प्रमाणित करते हैं कि सीसी
लिमिट/ऋण आवेदन-पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही है —

1. मैं उक्त फर्म का एक मात्र मालिक हूँ।
2. लिमिट/ ऋण स्वीकृति के पश्चात् आपको बैंक से ही वित्तीय लेन-देन करेंगे अन्य किसी बैंक से नहीं ऋण लेंगे नहीं लेन-देन करेंगे।
3. बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य है।
4. समय पर लिमिट/ऋण का पूरा भुगतान मय ब्याज के करने की हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी रहेगी अन्यथा हमारे द्वारा जमानत पर रखे गए भवन, भूमि तथा हमारी व्यक्तिगत सम्पत्ति से वसूली करने हेतु बैंक को अधिकृत करते हैं।
5. हमारे में किसी प्रकार का आयकर/बिक्रीकर सरकारी व अन्य वित्तीय संस्था का कोई ऋण बकाया नहीं है।
6. समय पर बीमा नहीं करवाने पर बैंक को सीधा बीमा करवाकर चुकाकर हमारे खाते को नामे करने हेतु अधिकृत करते हैं।
7. मेरे ऊपर एवं मेरे परिवार के सदस्यों पर राज्य सरकार/पंचायत समिति/व्यावसायिक बैंक/ग्रामीण बैंक सहकारी संस्था व किसी भी वित्तीय संस्था का कोई ऋण बकाया नहीं है।
8. i) स्वीकृत लिमिट का उपयोग सिर्फ व्यापार में ही करूँगा।
ii) ऋण जिस कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है उपयोग उसी कार्य में ही करूँगा।
9. उपरोक्त शपथ-पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास से सही एवं सत्य हैं इसमें कुछ भी झूठ नहीं है और न ही कुछ छिपाया गया है।
10. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ, कि दिनांक को की उपस्थिति में अंगूठे की निशान/हिन्दी/उर्दू में हस्ताक्षरित निम्न ऋण प्रलेख्यों की अंतर्वस्तु को अनुबन्धित कर मेरे द्वारा उक्त सीसी लिमिट/ऋण हेतु दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., की शाखा को वर्णन कर दिया गया है व मैं पुनः घोषणा करता/करती हूँ, कि उसे उनको अंतर्वस्तु एवं अर्थपूर्ण रूप से पता है। दस्तावेज ऋण प्रलेखों का विवरण :-

1	आवेदन पत्र मय दस्तावेज	2	डीड ऑफ गारन्टी
3	प्रोमीसरी नोट	4	डीड ऑफ हाईपोथेकेशन
5	कन्टीन्यूइंग रिक्यूरिटी लेटर	6	टाईटिल सर्टिफिकेट
7	सर्व रिपोर्ट	8	वचन पत्र
9	एग्रीमेंट	10	घोषणा पत्र
11	सहमति पत्र	12	इक्वोटेल् मोटगेज डिपोजिट डीडी
13	शपथ-पत्र	14	स्वर्गीय (ऋण प्राप्तकर्ता/ओं) नाम्ना के वैध उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादन करन हेतु
15	फार्म नं. 29,30,35	16	नो-ड्यु प्रमाण-पत्र

नाम भागीदार/मालिक श्री पिता का नाम श्री
पता उम्र वर्ष गवाह
के हस्ताक्षर मय विवरण पिता का नाम, जाति, गाँव, तहसील, जिला।

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर
(मैसर्स)

Nominal Membership No.

GUARANTOR'S STATEMENT

The Branch Manager,
The Banswara Central Co-operative Bank Ltd.,
Branch

Ref. : Loan For Rs.

(Name of Applicant)

I understand that the above named applicant has applied to you for a loan of the above stated amount and as I am a Guarantor of the loan, for which I have signed to necessary documents, I now furnish you under my signature the necessary information regarding myself.

1- Name in Full :

2- Father Name :

3- Residential Address & Telephone No. :

.....

.....

4- Office Address :

.....

.....

5- Name of Employer/Business/Profession :

6- Position Occupied :

7- Net Income Monthly/ Yearly :

8- Other Personal Data :

(i)	Real Estate	Market Value Rs.	Whether Mortgaged
	Location	Area	or Free

(ii) Stock Rs.

(iii) Life Insurance Policies held Rs. Policy No.

(iv) Borrowing against (iii)

(v) Do you own a motor Car/ Scooter Mark No. Year

(vi) Details of other guarantees if any signed Rs. by you.

(vii) Name of Banks :

9- How long you have known the applicant and what is your relationship with him

.....

10- Have you any borrowing so amount ther of

Place :

Date :

Signature of Guarantor

LETTER OF UNDERTAKING BY
OWNER OF THE PROPERTY/
FIXED ASSETS

To,

The Central Co-operative Bank Ltd.,

.....

I am a member of your Bank.

As part of the consideration for your making advance to

(Insert the name of the borrower)

By way of term Loan/ Demand Loan/ Demand cash Credit/ Bills purchased or discounted

* I / agree to create charge U/S 39 of Rajasthan co-operative Societies Act, on my following properties:

(Here give details of the property/ properties)

* I further declare that no mortgage, charge lien or encumbrance of any kind has been made or allowed over or effecting my/ aforesaid property/ properties or any part thereof.

* I further Undertake that no mortgage/ charge, lien or encumbrance shall be made or allowed while Remain indebted or liable to you in any manner without your previous consent in writing.

Signature

Date :

Place :

* Strike out whichever is not applicable.

To,
The Managing Director,
The Central Co-operative Bank Ltd.,
.....

Dear Sir,

I am writing this to confirm that I Shri
have deposited with you on title deeds relating to my
property at described below (herein after referred to as
the 'said property') with the intention of creating an equitable mortgage on the said property
by way of security for the amounts due to the Bank from me
under the following credit facilities extended to me by the Bank :

a)

b)

c)

d)

The said property is my self - acquired and as such no one else has any interest in the
said property. The said property is under my sole occupation.

There is no subsisting agreement for the sale of the said property nor has any
prospective or any intending purchaser taken possession of it or a part of it. The said property
is free from any encumbrances.

Your faithfully,

(Owner if the property)

Description of the property

Given as security:

Boundaries: East West
North South

Signature

(Owner if the property)

EQUITABLE MORTGAGE

DEPOSIT OF DEEDS TO SECURE A GIVEN SUM AND INTEREST

REPAYABLE WITHIN A FIXED PERIOD

THIS EQUITABLE MORTGAGE IS MADE ON THE
BETWEEN of the one part and The Banswara Central
Co-operative Bank Ltd., of the other part.

Whereas the said The Banswara Central Co-operative Bank Ltd., has advanced to the
said the sum of Rs. (Rupees
.....the receipt whereof the said The Banswara
Central Co-operative Bank Ltd. NOW IN CONSIDERATION of such advances aggregating
the after said sum of Rs. (Rupees
..... and for further securing the repayment thereof,
on demand with interest thereon at the rate of percent per annum from the date of deposit
with the said The Banswara Central Co-operative Bank Ltd. the deeds and documents
pertaining to this title to and do hereby charge the premises
comprised in the said deeds documents with the repayment of the said sum of Rs.
..... (Rupees)
with interest thereon at the rate of Percent per annum such
interest to be payable monthly along with principal or before 10th day of each month.

AND IT HERBY AGREED AS FOLLOWS :-

- 1- That should any interest remain unpaid for a period of more than six months from its
actual and/or after the expiry of the period specified herein the said The Banswara
Central Co-operative Bank Ltd., shall have theright to call in or enforce payment of the
sums due under this mortgage.
- 2- Thatshall pay
the interest as stated above and on failure it shall be added (to the principal, Such
principal shall in any case be repaid in monthly installments of Rs.
(Rupees)
only commencing from

- 3- That the said
.....
.....
Shall on demand by the said The Banswara Central Co-operative Bank Ltd. and at his
cost execute a simple MORTGAGE of the property hereby mortgaged on the terms and
conditions as to interest and manner of payment specified herein and such other
conditions as may be imposed by The Banswara Central Co-operative Bank Ltd.

IN WITNESS WHEREOF, the said
.....
have hereto signed atthe
day and year first above mentioned.

WITNESS:

.....
MORTGAGER

SCHEDULE OF PROPERTY

List of documents deposited with The Banswara Central Co-operative Bank Ltd. relating to the property comprising

.....
.....

bounded as below :

1- Sale deed dated executed by

.....
.....
.....

2- We, The Banswara Central Co-operative Bank Ltd., do hereby acknowledged to have this day received the above listed deed and documents and undertake to redeliver the same intact (Damage by fire or other inevitable accident only excepted) to the said

.....
.....
.....
.....

on receipt by us of the money by Equitable Mortgage of even date .

Dated this the

.....

MORTGAGEE

Receipt of documents to be given by the Mortgagee to the Mortgager.

Amount/ limit Rs.

Term : demand/ Period

Rate of interest

Security :

- 1- D.P. Note Rs. drawn by Mr. in favour of and endorsed by in favour of the Bank.
- 2- Letter of hypothecation signed by in respect of
- 3- Equitable mortgage by deposit of title deeds of immovable properties described below.

Brief description & location:

Boundaries: East West
North South

Tenure: Freehold/ Leasehold.

- 4- Joint and Several guarantee by

Mr. and Mr. called at the Bank today at A.M./P.M. under the authority of board resolution dated handed over to me acting on behalf of the bank the title deeds relating to the above mentioned immovable properties comprising land and buildings and other structures effected thereon situated atbrief particulars of which are given above.

At the time of such deposit Mr. and Mr.

Stated that he/ they made the deposit of the title deeds with intent to create security in favour of the Bank by way of equitable mortgage over the immovable properties for due repayment by to the Bank of the said term loan/ demand loan/ cash credit account with interest as aforesaid or any other rate as notified by the bank from time to time or any other obligations which arise to pecuniary liability including all costs and so that the security shall always be a continuing security.

Mr. and Mr. further assured the Bank the title deeds deposited are only title deeds in respect of the property and that are the absolute owners the said properties with no encumbrance of any party thereon.

.....
Accountant

.....
Agent/ Manager

रजिस्टर्ड से भेजा जावे
(मालिक द्वारा बैंक को)

-:स्थायी सम्पत्ति के मालिक से प्राप्त किए जाने वाला वचन-पत्र:-

श्री शाखा व्यवस्थापक

दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,

शाखा

महोदय,

मैं आपकी बैंक का सदस्य हूँ। श्री

पुत्र श्री पता

गाँव तहसील जिला

को उनके पक्ष में उद्देश्य हेतु बैंक से स्वीकृत

ऋण के एवज में श्री पुत्र

श्री पता

गाँव तहसील जिला

निम्नलिखित स्थायी अचल सम्पत्ति राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत
प्रत्याभूति स्वरूप रहन हेतु प्रस्तावित करता हूँ/करते हैं।

स्थायी सम्पत्ति का विवरण :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि, उक्त स्थायी अचल सम्पत्ति कहीं पर गिरवी/रहन
अथवा इस पर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है, न ही यह विवादित है तथा यह
सम्पत्ति पूर्णतया भार मुक्त है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि, उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का रहन
अथवा भार कायम नहीं होने देंगे अब तक कि श्री

पुत्र श्री पता

गाँव तहसील जिला

की और बैंक का ऋण मय ब्याज बकाया रहेगा तथा
समस्त ऋण पूर्ण अदा हो जाने बाबत बैंक से कोई लिखित सहमति प्राप्त नहीं हो जाती।

भवदीय

हस्ताक्षर
(स्थायी सम्पत्ति मालिक)

दिनांक :

स्थान :

FROM BORROWERS :

(For pledge each Credita)

The Month of

Name of the Borrower :

STOCK STATEMENT

Sr. No.	Particulars of goods	Quantity	Rate (per unit) as per invoice Rupees	Invoice price	Remarks
1	2	3	4	5	6

Certified that the goods mentioned abned have ont been charged to any party other then the bank.

Signature of the Borrower
Date:

